न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 100/2013

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 दीनदयाल दत्तक पुत्र गौरूराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अणची बेवा गौरूराम जाति जांगिड़ निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर।
2 केशरी स्त्री मोतीलाल जाति जांगिड़ निवासी किरडोली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्व काश्तकारी अधिनियम विरूद्व सहायक कलेक्टर द्वितीय दिनांक 21.08.2013 बउनवानी मुकदमा दीनदयाल बनाम अणची वगैरह जिसके द्वारा आवेदक का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया आवेदन संख्या 138/2008

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री कैलाश अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश मील अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.12.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा आवेदन संख्या 138/08 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने ग्राम दादिया की भूमि खसरा नम्बर 75,73,74,62 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम 2 सीकर द्वारा दिवानी विविध संख्या 53/2014 उनवानी दीनदयाल बनाम अणची वगैरह प्रकरण में पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय दिनांक 18.08.2015 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें ग्राम दादिया की भूमि खसरा नम्बर 75,73,74,62 के सन्दर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं अन्तरण नही करने के लिए उभयपक्ष को पाबंद किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन दिया जा चुका है। अत इसी अनुरूप इस अपील का निस्तारण कर स्थगन जारी किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है सिविल न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी नही है अपील सारहीन है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कम 2 सीकर द्वारा दिवानी विविध संख्या 53/2014 उनवानी दीनदयाल बनाम अणची वगैरह प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें ग्राम दादिया की भूमि खसरा नम्बर 75,73,74,62 के सन्दर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं अन्तरण नही करने के लिए उभयपक्ष को पाबंद किया गया है। हमने इस निर्णय का अवलोकन किया सिविल न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर विवादित भूमियों के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। जो विधि सम्मत प्रतीत होती है पक्षकारों के मध्य हक हकुक का निर्धारण मूल वाद में होना शेष है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर अपीलांट का आवेदन खारिज किया है।

भू-प्रबंध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर बिचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को तादौराने वाद पाबंद किया जाता है कि ग्राम दादिया की भूमि खसरा नम्बर 75,73,74,62 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं इसका अन्तरण नही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर